संशोधित स्मृति – पत्र

1– संस्था का नाम : आशुतोष शिक्षा एवं सेवा संस्थान।

2– संस्था का पूर्ण पता : 15–H कैलाशकुंज, दाउदपुर
चारूचन्द्रपुरी कालोनी के पीछे
गोरखपुर।

2क शाखा कार्यालय : बॉसगॉव ,गोरखपुर।

3– संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष

4– संस्था का उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

(1) शिक्षा सम्बन्धी कार्य :–

(क) बालक व बालिकाओं के शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक,आध्यात्मिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के लिये प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय स्तर तक के नये – नये विद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना जिससे प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मैनेजमेन्ट की शिक्षा तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था करना। पिछड़ी क्षेत्रों के विकसित विद्यालयों के प्रगति के लिए प्रयास करना । संगीत शिक्षा की व्यवस्था करना।

(ख) बालक एव वालिकाओं के लिए बालगृह , बाल विकास केन्द्र, बाल कल्याण केन्द्र, छात्रावास आदि खोलकर संचालन करना ।

(2) कम्प्युटर शिक्षा :

बालक एव बालिकाओं को स्वरोजगार हेतु कम्प्युटर शिक्षा से सम्बन्धित साफ्ट्वेयर एवं हार्डवेयर का प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना समाज के कमजोर वर्गो विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति बच्चों के उत्थान हेतु निःशुल्क कम्प्युटर शिक्षा की व्यवस्था करना ।

(3) साक्षरता ,प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं ऑगनवाड़ी कार्यक्रम:
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पुरुष एवं महिलाओं तथा बालक–बालिकाओं को साक्षर बनाना तथा निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना । इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना जिससे निर्धन तथा बेरोजगार व्यक्ति अपने कुटीर उघोग धंधे स्वयं स्थापित कर सके। राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रौढ़ शिक्षा , अनौपचारिक शिक्षा कार्यकमो में सहयोग देना तथा प्रचार –प्रसार करना ।

4–पुस्तकालय व वाचनालय की स्थापना :–

व्यक्तियों के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय तथा वाचनालय की स्थापना तथा संचालन करना।

Ram ... Sunita Singh ...

Dr. M. Z.R. Khan
Director
KIPM College of Engineering
& Technology
GIDA Gorakhpur

उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
...गोरखपुर

5—आवासीय योजनाओं का निमार्ण एवं संचालन :—

समाज के अधिक उम्र के व्यक्तियों तथा निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास / भूखण्ड की सुविधा उपलब्ध कराना ।

6—सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासार्थ कार्य :—

अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा समाज के निर्धन व्यक्तियों के सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान में सहायक विभिन्न कल्याणकारी योजनायें बनाना एवं विधिवत संचालन करना। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यकम ,विचार गोष्ठी ,सेमिनार, पत्र पत्रिकाओं का निःशुल्क प्रकाशन करना । महिला सम्मेलन , बाल सम्मेलन, वाद —विवाद प्रतियोगिता आदि का भी आयोजन करना। जनता के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक , सर्वधार्मिक, ज्ञानवर्धक मनोरंजन कार्यकमों की व्यवस्था करना ।

7—विकलांगों के सहायतार्थ कार्य :—

विकलांगों को स्वावलम्बी बनाने में उनकी मदद करना तथा उनके लिए कृत्रिम अगों , ट्राई सायकिल, श्रवणयन्त्र आदि को निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए उन्हे रोजगार के विभिन्न कार्यो में लगाना जिससे वे अपनी जीविका स्वयं चला सके । विकलांग बच्चों के हितार्थ उन्हें समुचित शिक्षा देने हेतु आवासीय विकलांग विद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र चलाने की व्यवस्था करना तथा राज्यसरकार , भारतसरकार के सहयोग से कार्यकमों को संचालित करना। मंद बुद्धि बाल विद्यालय की स्थापना करना ।

8—महिलाओं के कल्याणार्थ कार्य , प्रशिक्षण व रोजगार कार्यकम :—

(क)—महिलाओं एवं बालिकाओं को कम्प्युटर , रेडियो, टी0वी0,सिलाई ,कढ़ाई,बुनाई, फैशन डिजाइन, टाइपिंग, शार्ट हैंड,पापड़ उद्योग, अगरबत्ती, मोमबत्ती , अचार मुरब्बा आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर तथा बेरोजगार महिलाओं को रोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाना तथा योजनाओं का संचालन करना ।

(ख)—जरूरतमन्द बेरोजगार निराश्रित, असहाय , निर्धन तथा अत्याचार के शिकार महिलाओं व बालिकाओं के लिए शैक्षिक कार्यकम, चिकित्सा हास्टल, सुधारगृह ,जागरूकता शिविर, तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र तथा समुचित सामाजिक, आर्थिक कार्यकम चलाना ।

9—परिवार कल्याण एवं स्वास्थय कार्यकम :—

(क)— परिवार एवं बाल कल्याण कार्यकम को ग्रामो में व्यापक स्तर पर संचालित करना, बच्चों के टीकाकरण के लिए सहयोग प्रदान करना तथा महामारी के समय में जनता की मदद करना । मानव कल्याण हेतु हर प्रकार की चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यकमों का निःशुल्क संचालन करना। कैंसर, टी0 वी0 कुष्ठ रोग आदि बीमारियों के रोकथाम हेतु यथा सम्भव प्रयास करना ।

(ख)— रेडकास सोसाइंटी की योजना में कन्धा से कन्धा मिलाकर जनसाधारण की सहायता करना । धर्मार्थ चिकित्सालयों का निमार्ण करना।

(ग)—निःशुल्क रक्तदान शिविर तथा दृष्टिहीनता को दूर करने हेतु निःशुल्क नेत्र ज्योति शिविरों का आयोजन करना तथा जनसाधारण को हर तरह से सुविधा मुहैया कराना।

Dr. M. Z.R. Khan
Director
KIPM College of Engineering
& Technology
GIDA Gorakhpur

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

10—मद्य निषेध तथा छुआछूत कार्यक्रम :—

समाज में व्याप्त छुआछूत ,ऊँच नीच तथा जाति धर्म की विषमता को दूर करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने का कार्यक्रम बनाना। मादक पदार्थो का नशा करने वालो , की लत छुड़ाने के लिए सरकार को सहयोग करना। गोष्ठी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मादक पदार्थो के विरूद्ध व्यापक जन जागरण करना । मद्य एवं मादक पदार्थो का सेवन करने वालो की लत छुड़ानें के लिए चिकित्सको की मदद से धमार्थ अस्पताल का निमार्ण करना। निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करना । मलीन बस्तियों की सफाई की व्यवस्था करना ।

11—पर्यावरण व वृक्षारोपण कार्यक्रम :—

क—पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु व्यापक रूप से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना । नदियो मे गन्दे नाले के पानी एवं कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना ।

(ख)—पर्यावरण की रक्षा के लिए लोंगो को जागरूक करने हेतु विचार गोष्ठी सम्मेलन, पर्यावरण यात्रा आदि कार्यक्रम आयोजित करना । वृक्ष, जैविकीय तकनीकियों को ग्रामीण स्तर पर सुलभ कराना जिससे पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके ।

(ग)—पॉलीथीन के दुष्प्रभाव से लोगो को अवगत कराते हुए पॉलीथीन के प्रयोग से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर व्यापक प्रचार प्रसार करना

12—खेलों को बढ़ावा :—

छात्र एवं छात्राओं के लिए स्पोर्टस विद्यालय या महाविद्यालय खोलने का प्रयास करना । सभी प्रकार के खेलों के प्रति अभिरूचि पैदा करने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना तथा संस्था के माध्यम से खेलने के मैदान , स्टेडियम आदि का निर्माण करना तथा खेल प्रतियोगिताओं का राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजन करना । खिलाड़ियों के मनोबल को ऊँचा उठाने के लिए पुरस्कार वितरण की व्यवस्था करना ।

13—खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम :—

गॉधी विचार के आधार पर खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित सभी किस्म के उद्योगो का संचालन करना , रचनात्मक कार्यो की प्रशिक्षण की व्यवस्था करना । खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन, खादी बोर्ड लखनऊ से नियमानुसार सभी प्रकार की आर्थिक सहायता, अनुदान प्राप्त कर लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना तथा नियमित रूप से संस्था के माध्यम से कार्य संचालित करना तथा इनसे प्राप्त धनराशियों को संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति मे व्यय करना ।

14—भाषाओं का विकास,सामाजिक कुरीतियो को दूर करना,तथा वाल विकास कार्यक्रम :—

(क)—हिन्दी सहित अन्य भाषाओं के विकास के लिए संस्था द्वारा प्रचार प्रसार करना ।

(ख)—दहेज प्रथा, अन्ध विश्वास एवं सामाजिक कुरीतियो को दूर करने का प्रयास करना ।

Dr. M. Z.R. Khan
Director
KIPM College of Engineering & Technology
GIDA Gorakhpur

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

(ग)–बाल विकास व बाल चिकित्सा हेतु यूनिसेफ तथा अन्य सरकारी गैर सरकारी व सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सहयोग प्राप्त करना तथा विभिन्न लाभकारी योजनायो का कियान्वयन करना ।

15–विश्व शान्ति, मानवता व मानवाधिकार कार्यकम :–

महात्मा बुद्ध के सिद्धान्तों पर चलते हुए जन मानस के बीच शान्ति ,अहिंसा, भाईचारा सर्वधर्म एकता तथा देश की अखण्डता के प्रति जनता को जागरूक करना । विश्व शन्ति व मानवता के लिए मानवाधिकार संगठन को सहयोग देना तथा कन्धा से कन्धा मिलाकर उसके साथ कार्य करना ।

16–छात्रावास व धर्मशाला का निमार्ण :–

निधर्न तथा कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण करना व उनकी व्यवस्था का संचालन करना । देश –विदेश से आये विद्यार्थियों, बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों व किसानों को ठहरने हेतु धर्मशाला का निर्माण करना व उसकी व्यवस्था का निःशुल्क संचालन करना।

17–कृषि विकास , कृषक उत्पादन व पशुपालन कार्यकम :–

कृषि विकास बागवानी, फल संरक्षण तथा कृषकों हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन करना व विशेषज्ञों के आधुनिकतम शोध को कृषको तक पहुचॅाना । पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन ,रेशम पालन से सम्बन्धित सारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुँचाना तथा इनमें फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु समय समय पर टीकाकरण तथा चिकित्सा सुविधा की जानकारी देने व सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संगठनों के माध्यम से सहयोग दिलवाते हुए प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन करना । भूमि सुधार हेतु कार्य करनां तथा ऊसर भूमि सुधार कार्यकम चलाना ।

18–प्राकृतिक आपदा :–

बाढ़, आगजनी,भूकम्प,सूखा, हैजा, प्लेग आदि दैविक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना तथा उनके पुर्नवास एव जीवन यापन के लिए सहयोग करना तथा विभिन्न प्रकार की महामारी की रोकथाम के लिए प्रशासन के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर जन साधारण की हर तरह से सेवा करना तथा सरकारी संस्थाओं के माध्यम से लाभ पहुचाने मे सहयोग करना ।

19–हस्त कला सम्बन्धित कार्य :–

हस्त कला के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं बालिकाओं व युवको को हस्त कला का प्रशिक्षण देना तथा हस्तकला से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यकमो को संचालित करना ।

20–जनसंख्या नियन्त्रण कार्यकम:–

सयुक्त राष्ट्र संगठन, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के जनसंख्या नियन्त्रण कार्यकमों में सहयोग प्रदान करते हुए जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में व्यक्तियों को जागरूक करना ।

Dr. M. Z.R. Khan
Director
KIPM College of Engineering
& Technology
GIDA Gorakhpur

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

21—जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ कार्य :—

(क)—जीव जन्तुओं के संरक्षण हेतु कार्य करना तथा उनके लिए वन विहार की व्यवस्था करने का प्रयास करना ।

(ख)—गो सेवा की मान्यता के अनुसार कार्य करना।

(ग)—जीव जन्तु हेतु समस्त प्रकार के कार्य करना ।

(घ)—जीव—जन्तु कल्यार्ण बोर्ड से जीव—जन्तुओं के कल्याणार्थ योजनाओं हेतु आवेदन करना तथा सहायता प्राप्त कर उन्हें भौतिक रूप से क्षेत्र में लागू करना जिससे जीव—जन्तुओं की रक्षा हो सके ।

(ङ)—जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगों में जागृति पैदा करना ।

(च)—जीव जन्तुओं के प्रति कुरता के दृष्टिकोण क. बदलना जिससे लोगों के अन्दर जीव—जन्तुओं के प्रति दया भाव पैदा हो।

(छ)—जीव जन्तुओं के प्राकृतिक निवास स्थलों को नष्ट होने से बचाना तथा उनको क्षति पहुचानेंवालों से बचाना जिससे उनके प्रजनन तथा सृजन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो. ।

(ज)—वन्य जीवों के कल्याणार्थ कार्य करना तथा उनके अभ्यारणों के क्षति को बचाना तथा उनको क्षति पहुचानें वालों को सरकारी नियमों के अधीन दण्डित करने की कार्यवाही करना।

(झ)—लावारिश पशुओं, कुत्तों, बिल्लियों, नीलगाय आदि को समुचित संरक्षण प्रदान करनातथा लाचार, बीमार जीव—जन्तुओं के दवा आदि का प्रबन्ध कर स्वस्थ होने पर उन्हें प्राकृतिक रूप से जीवित करने के लिए यथावत प्रबन्ध करना ।

(ट)—जीव जन्तुओं के दवा आदि के लिए निःशुल्क अस्पताल आदि की व्यवस्था करना ।

(ठ)—जगह—जगह पर जनसाधारण के सहयोग से पशुओं जैसे निराश्रित गाय, बैल, भैस—भैसा, गदहा, कुत्ता, बिल्लियों के निवास स्थल का निर्माण करना जिससे लावारिश व असहाय पशुओं को रखा जा सके तथा उन्हें समुचित रूप से दवा आदि का प्रबन्ध हो सके ।

(ड)—सरकार/जनसाधारण के सहयोग से बढ़ती मांसाहार की प्रवृति पर अंकुश लगाने का प्रयास करना तथा बढ़ी कुरता की दृष्टिकोण में बदलाव हेतु साकार प्रयास करना ।

(ढ़)—जीव—जन्तुओं के कल्याणार्थ विचार पैदा करने हेतु जगह—जगह पर गोष्ठियों का आयोजन करना ।

(त)— पशुओं द्वारा कुत्ता , बिल्ली, सियार , बंदर आदि के काटने पर प्रतिरोधक दवा का प्रयोग करना ।

(थ)—जीव—जन्तुओं के निवास हेतु सरकार से भूमि प्राप्त करना तथा उसे संरक्षित करना तथा जानवरों की प्राकृतिक रूप से चारागाह का प्रबन्ध करना ।

Sunita Singh

Zahid 21/11/24

Dr. M. Z.R. Khan
Director
KIPM College of Engineering
& Technology
GIDA Gorakhpur

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

(द)–जीव–जन्तुओं पशुओं के प्रति किए गये अत्याचारों के लिए न्यायालयों में वादो की पैरवी करना तथा उनको दण्डित कराने में सरकार को सहायता प्रदान करना ।

(न)–जीव जन्तुओं के प्रजनन केन्द्रों को नष्ट करने वालों के प्रति कार्यवाही करना तथा कष्ट करनें वालों को दण्डित करनें के लिए सरकार पर दबाव डालना ।

(प)–गोवंश के समृद्धि के सभी प्रकार के प्रयास करना तथा जनसाधारण के उत्साहवर्धक हेतु पशुओं, जीव–जन्तुओं के मेलों का आयोजन करना ।

(फ)–प्रतिबन्धित पशुओं की अवैध हत्या तथा पर्यावरण मित्र पशु पक्षियों के सम्यक संरक्षण का उपाय सामाजिक, प्रशानिक शासन स्तर से तालमेल बैठाकर करना ।

(ब)–सभी शौचालयों का जीर्णोद्वार व आवश्यकता होने पर नई गोशाला का निमार्ण करना तथा सरकार की श्वेत कान्ति में पूरा सार्थक सहयोग करना ।

(भ)–पशुओं का चारा समस्याओं के समाधान हेतु धान की नई अनुसंधान, नई प्रजातियों या सर्वमान प्रजातियों में अधिक उत्पादन वाली प्रजातियों पर अनुसंधान ।

(म)–जीव–जन्तुओं के सभी समस्याओं के समाधान हेतु गन्ना की ऐसी प्रजातियो एवं पैदावार की तकनीक विकसित करने , गन्ना ,कृषक के स्तर के सर्वागीण विकास एवं ऊसर भूमि सुधार करना ।

(य)–उत्पादन एव सब्जी उत्पादन, धान ,गेहूँ एवं अन्य फसलों के क्षेत्र में नई एवं पुरानी तकनीक विकसीतकरनें ,गन्ना कृषकों के स्तर को ऊँचा उठाना तथा कृषकों के अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने एवं विकसीत विधियों की खोज एवं डेयरी के विकास के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना ।

(22) अन्य कार्य :–

(क)–विज्ञान व प्रौद्योगिक पर आधारित केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यकमों को संस्था के माध्यम से संचालित करना ।

(ख)–शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो में प्रभावित शौचालय मुत्रालय ,स्नानघर,इण्डिया मार्क हैन्डपम्प आदि की व्यवस्था कर लोगो के जीवन स्तर में सुधार करते हुए जगह–जगह सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखना ।

(ग)–युवकों व युवतियों में समाज सेवा, देश सेवा,ग्राम सेवा, सदाचार,कर्तव्य परायणता, आत्म विश्वास स्वावलम्बन तथा भाई चारे की भावना जागृत करना ।

(घ)–अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति ,दलित,कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के मुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे लघु एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीनों, मजदूरो एवं ग्रामीण हस्तकारो को स्वतः रोजगार कराने हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना ।

(ड)–संस्था द्वारा शाखा कार्यालय, उपकार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों को भारत वर्ष के किसी भी गावं या शहर में खोलकर उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति हेतु कार्य किया जायेगा ।

Dr. M. Z.R. Khan
Director
KIPM College of Engineering
& Technology
GIDA Gorakhpur

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

च) अल्पसंख्यक वर्ग के महिलाओं, बालिकाओं, युवकों को भारत सरकार राज्य सरकार के सहयोग से विद्यालयों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था कर उन्हें शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना।

23) सड़क सुरक्षा हेतु कार्यक्रम :-

सड़क सुरक्षा नियमों एवं यातायात के नियमों का पालन कराने हेतु शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके तथा इससे सम्बन्धित जनोपयोगी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना।

24) 1- बेसिक व उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन एवं शिक्षा का प्रचार व प्रसार।

2- शिक्षा के विकास हेतु स्कूल, पाठशाला तथा कालेज स्थापित करना एवं उनका प्रबन्ध करना।

3- मेधावी छात्रों के प्रोत्साहन एवं सहायता हेतु छात्रवृत्तियां देना और अन्य प्रकार की सहायता देना।

4- अनाथ तथा निराश्रित बच्चों के निःशुल्क निवास, भोजन एवं शिक्षा प्रबन्ध हेतु अनाथालय या अन्य प्रकार की सहायता।

5- प्रोढ़ शिक्षा एवं अनपढ़ स्त्रियों के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना।

6- ~~अन्य शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण संस्था को सहायता हेतु चन्दा देना।~~

7- गाँव, नगर तथा कस्बों में आवश्यकतानुसार पेयजल की सुविधा के लिए हैण्डपम्प, प्याऊ बूथ या अन्य प्रकार की व्यवस्था करना।

8- निराश्रितों, अपंग तथा अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों की सहायता और पुर्नवास की व्यवस्था करना।

9- धर्मशाला इत्यादि का निर्माण तथा उसके रखरखाव की व्यवस्था करना।

10-अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन तथा सहायता देना।

11-भूमि सुधार हेतु कार्य करना तथा ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना। क्रेडिट, विस्तार एवं प्रशिक्षण, भूमि विस्तार, परती भूमि विकास, जल संग्रह प्रबन्ध संबंधी समस्त कार्यो को करना।

25) महिलाओं के कल्याणार्थ कार्य, प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम :-

क) महिलाओं व बालिकाओं को कम्प्यूटर, रेडियों, टी०वी०, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, फैशन डिजाइनिंग, टाइपिंग, शार्ट हैण्ड, पापड़,

Sunita Singh
अजीत शर्मा

Zahid 31/11/24
Dr. M. Z.R. Khan
Director
KIPM College of Engineering & Technology
GIDA Gorakhpur

दीपक राजपूत
सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

उद्योग, अगरबत्ती, मोमबत्ती, अचार, मुरब्बा तथा फल संरक्षण आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर तथा बेरोजगार महिलाओं को रोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाना तथा योजनाओं का संचालन करना। स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं में सामाजिक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास करना एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु आवश्यक प्रयत्न करना। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब, दलित , अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के लोगों के आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक विकास के लिए कार्य करना। दान अनुदान, चंदा आदि द्वारा ग्राम विकास के लिए सभी प्रकार के कार्य करना एवं निर्माण कार्य करना।

ख) जरूरतमंद बेरोजगार निराश्रित, असहाय, निर्धन तथा अत्याचार के शिकार महिलाओं व बालिकाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, चिकित्सा, हास्टल, सुधार गृह, जागरूकता शिविर, तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, स्वयं सहायता समूह तथा सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम चलाना।

26) जागरूकता सम्बन्धी कार्य :-

जागरूकता सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत प्रशिक्षण, अभियान तथा सूचना-सामग्री तैयार कर उनका वितरण करना इत्यादि कार्यों से जागरूकता सम्बन्धी कार्यों को करना।

27) वन सम्बन्धी कार्य :-

वन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत कार्य अध्ययन करना तथा सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रमों को करना।

28) ग्राम्य विकास सम्बन्धी कार्य :-

ग्राम्य विकास सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह कार्यक्रमों का संचालन, स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामानों को विपणन के लिए शो-रूम की स्थापना, संचालन, स्वयं सहायता समूहों के लिए ट्रेनिंग संबंधित कार्यों को करना, ग्रामीण स्वरोजगार के अन्तर्गत कार्यक्रमों को करना जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सके। ग्राम सम्बन्धित तथा ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना।

29) शहरी (नगर) विकास सम्बन्धित कार्य :-

नगर विकास के लिए सरकार के द्वारा संचालित समस्त कार्यों को

Zahid 3/11/24
Dr. M. Z.R. Khan
Director
KIPM College of Engineering
& Technology
GIDA Gorakhpur

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

संचालित करना, प्रचार-प्रसार करना, प्रशिक्षण संबंधित कार्य करना तथा शहरी नगर विकास से सम्बन्धित समस्त कार्यो को करना।

30) ग्रामीण आवास का निर्माण :-

ग्रामीण आवास के अन्तर्गत कम कीमत के मकानों का निर्माण संबंधित कार्यो को करना, विपत्ति प्रबन्धन समस्त कार्यो को करना आदि।

31) सूचना विस्तार समबन्धित कार्य :-

सूचना विस्तार सम्बन्धित कार्य के अन्तर्गत प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण, प्रकाशन, मीडिया-समर्थन, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित कार्यो का संचालन करना इत्यादि।

32) ग्रामीण प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्य :-

ग्रामींण प्रौद्योगिकी कार्यों के अन्तर्गत शोध हेतु व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत संबंधित कार्य तथा प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण संबंधित समस्त कार्यो को करना।

33) आय सृजन सम्बन्धित कार्य :-

ग्रामीण महिलाओं को केन्द्र में रखकर आय सृजन हेतु स्वयं सहायता समूह, सम्बंधित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, ग्रामीण के श्रमदान संबंधित कार्यो तथा तत्सम्बन्धित समस्त कार्यो को नगर में भी संचालित करना।

34) पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धित कार्य :-

पेयजल के अन्तर्गत जलापूर्ति, परम्परागत जल प्रणाली संबंधित कार्यों तथा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कार्यो को संचालित करना। स्वच्छता के अन्तर्गत शौचालयों (व्यक्तिगत तथा सामूहिक) का निर्माण करना, संचालन करना, स्वच्छता बाजार संबंधित कार्यों को करना।

35) विपणन सम्बन्धित कार्य :-

शहरी तथा ग्रामीण उत्पादों का विपणन कार्य करना, उससे हुई समस्त आय को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना। शहरी तथा ग्रामीण उत्पादों के विपणन के लिए प्रदर्शन एवं मेलों का आयोजन करना आदि।

Dr. M. Z.R. Khan
Director
KIPM College of Engineering
& Technology
GIDA Gorakhpur

36) पंचायती राज सम्बन्धित कार्य :–

विकेन्द्रीकरण में सरकार को सहयोग देना तथा पंचायती राज के अन्तर्गत ग्रामों का सामूहिक रूप से सफाई इत्यादि के कार्यो को करना तथा पंचायती राज को बढ़ावां देने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता संबंधित समस्त कार्यो का संचालन करना।

37) लोक सहयोग :

लोक सहयोग के अन्तर्गत समस्त कार्यो का संचालन करना।

38) ग्राम सम्पर्क सड़कें :–

ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु ग्राम सम्पर्क मार्गों का निर्माण करना इत्यादि।

39) उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धित कार्य :–

उपभोक्ता संरक्षण कार्यो के अन्तर्गत उपभोक्ता न्यायालयों के पास उपभोक्ता संरक्षण केन्द्रों, परामर्श केन्द्र आदि की स्थापना कर संचालन करना।

40) अन्य कार्य :–

1. प्रकृति परायण जीवन शैली के विभिन्न आयामों–सन्तुलित पर्यावरण, समन्वित कृषि, सर्वशिक्षा, सम्पन्न स्वास्थ्य, वैदिक रचना विकास व स्थानीय तकनीकी ज्ञान आदि के संरक्षण, संवर्धन व विकास हेतु योजना बनाना एवं क्रियान्वित करना।
2. ग्राम स्वावलम्बन जनित विकास हेतु विविध तकनीकी एवं वैज्ञानिक, वैदिक विधाओं, पर शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, परिचर्चा आदि माध्यमों से क्रियान्वयन करना।
3. जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, जैव तकनीक, देशी बीज, प्राकृतिक जल संसाधनों का संरक्षण व विकास हेतु कार्य योजना जन–सहभागी एवं समाज उपयोगी विकास का अनुवर्ती प्रयास करना।

Dr. M. Z.R. Khan
Director
KIPM College of Engineerin
& Technology
GIDA Gorakhpur

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

4. गो–आधारित ग्रामीण व नगरीय सतत् विकास प्रबन्धन, गोशाला एवं गो उत्पादों का प्रति–स्थापन, प्रसंस्करण व प्रदर्शन, प्रसार, प्रचार आदि का कार्य करना।

5. बेहतर जीवन पद्धति, सर्वांगीण विकास व ग्राम स्वरांज के लिए विभिन्न विभागों, संस्थाओं, समाज सेवियों के सहयोग एवं सानिध्य से औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक तकनीकी विकास का योजनाबद्ध कार्यक्रम एवं प्रयास।

6. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जन उपयोगी एवं समाज विकासोन्मुख साहित्य, पत्र–पत्रिका एवं प्रसार सम्बन्धी प्रकाशन।

41) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21, सन 1860 की धारा 20 के अन्तर्गत वर्णित सभी कार्यों का करना।

42) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन एवं विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, युवा एवं खेल विभाग, सरकारी अर्द्धसरकारी, सहकारी, खादी कमीशन बोर्ड बम्बई, खादी बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ, नाबार्ड, राष्ट्रीय महिला कोष, महिला आयोग, अल्पसंख्यक विभाग, गैर सरकारी संस्थाओं से अनुदान, दान, चन्दा या ऋण प्राप्त करना तथा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा जनहित में लिये गये निर्णयों को संचालित करना।

Zahid 3/11/24
Dr. M. Z.R. Khan
Director
KIPM College of Engineering & Technology
GIDA Gorakhpur